अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश नं0– 41/16–17

राकेश पोद्दार बनाम् मजीद उर्फ मु0 बकरा वगै0

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक राकेश पोद्दार, पे0–चमनलाल मोदी, सा0–मिर्जाचक, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा ने मौजा– मिर्जाचक नं0–642, जमाबंदी नं0–29, दाग नं0–98, रकवा– 00–06–00 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी को कई बार मौका दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अबतक कारण पृच्छा दाखिल नहीं की गई है। दिनांक–11.07.2017 से उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। उभय पक्षों द्वारा प्रभावित कागजात बनाकर उक्त भूमि का हस्तांतरण की जा सकती है, जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम की धारा–20 तथा विगत सर्वे के Records of right के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को विवादित भूमि मौजा– मिर्जाचक नं0–642, जमाबंदी नं0–29, दाग नं0–98, रकवा– 00–06–00 धूर भूमि से उच्छेद किया जाता है।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।